न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1472-पीबीआर/2017 विरूद्ध आदेश दिनांक 11-05-2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण क्रमांक 585/अपील/2015-16

---

1. श्रीमती रेखा सौलंकी पत्नी स्व. श्री प्रवीण सिंह
   निवासी उद्धव नगर, राजगढ़(ब्यावरा) जिला राजगढ़
2. श्रीमती मालती बाई पत्नी स्व. श्री प्रेमबहादुर सिंह
   निवासी 7, जेल रोड़, झालावाड, जिला झालावाड (राजस्थान) ....आवेदिकागण

विरूद्ध

1. प्रदीप सिंह पुत्र स्व. श्री देवीसिंह राणावत
   निवासी गंज करेदी हाऊस के सामने
   राजगढ़(ब्यावरा) जिला राजगढ़
2. मध्यप्रदेश शासन ....अनावेदकगण

श्री अशरफ अली, अभिभाषक, आवेदिकागण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 17/7/18 को पारित)

आवेदिकागण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित दिनांक 11-05-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदिकागण द्वारा तहसील न्यायालय के नामांतरण वर्ष 1980-81 के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी राजगढ़ के समक्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गई । साथ ही विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक 10/अ-6/2015-16 दर्ज कर दिनांक 13-05-2016 को अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र निरस्त कर अपील अस्वीकार की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक

11-05-2017 को आदेश पारित कर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश निरस्त करते हुए आवेदिकागण अथवा अनावेदक की ओर से तहसीलदार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर नामांतरण नियमों का पालन करते हुए नये सिरे से प्रकरण दर्ज कर सभी हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुए आदेश पारित करने के निर्देश तहसीलदार को दिये गये । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिकागण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने यह देखने में भूल की है कि द्वितीय अपील के विचारणकाल में परिस्थितियों में हुये परिवर्तन अर्थात व्यवहार वाद क्रमांक 33-ए/15 (प्रदीप राणावत एवं अन्य विरूद्ध राजेन्द्र सिंहव अन्य) में पारित आदेश 14-01-2015 में व्यवहार न्यायाधीश राजगढ़ द्वारा आवेदिकागण को हीरालाल का वारिस मानते हुये प्रकरण में पक्षकार बनाये जाने के आदेश दिये थे और व्यवहार न्यायालय के आदेश राजस्व न्यायालयों पर बंधनकारी होते है । इस वैधानिक बिंदू के आधार पर प्रथम दृष्टया आवेदिकागण को प्रश्नाधीन भूमि के शासकीय अभिलेखों में 2/3 हिस्से पर नामांतरण स्वीकृत करना था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण प्रत्यावर्तित कर भूल की है । यह भी कहा गया कि प्रकरण में स्वीकृत तथ्य है कि प्रश्नाधीन भूमि मूलरूप से श्री हीरालाल पुत्र पृथ्वीसिंह के नाम पर थी । विधि अनुसार उक्त भूमि का नामांतरण प्राकृतिक अंतरण के आधार पर उनके वैधानिक उत्तराधिकारियों क्रमश: आवेदिकागण एवं आवेदक के पिता देवीसिंह के नाम पर विधि अनुसार होना चाहिये था जो ना कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण प्रत्यावर्तित कर दिया गया । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि द्वितीय अपील के विचारणकाल में माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. इंदौर खण्डपीठ द्वारा याचिका क्रमांक 54/2017 में प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदिकागण के हिस्से एवं आवेदक क्रमांक 1 के हिस्से की व्याख्या हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत की गयी है, ईससे यह प्रथम दृष्टया ही सिद्ध है कि हीरालाल की मृत्यु के उपरांत नैसर्गिक अंतरण द्वारा भूमि के 2/3 हिस्से पर आवेदिकागण के स्वत्व का अंतरण हो गया था । इस आदेश के आलोक में अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण प्रत्यावर्तित करने की बजाय सीधे आवेदिकागण के नाम पर प्रश्नाधीन भूमि के राजस्व अभिलेखों में 2/3 हिस्से पर नामांतरण स्वीकृत कर देना चाहिए था, जो उनके द्वारा ना किया जाकर प्रकरण प्रत्यावर्तित कर दिया गया है । यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष द्वितीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष द्वितीय अपील में आवेदिकागण द्वारा पर्याप्त मात्रा में इस तथ्य को दस्तावेजी साक्ष्य के माध्यम से सिद्ध किया गया था कि आवेदिकागण प्रश्नाधीन भूमि के मूल भूमि स्वामी हीरालाल की सगी पुत्रियां हैं और हीरालाल के स्वीकृत तौर पर तीन वारिस हैं, जिनमें दो आवेदिकागण हैं और एक उत्तराधिकारी

अनावेदक क्रमांक 1 के विरूद्ध स्वर्गीय पिता देवी सिंह थे । इस प्रकार आवेदिकागण द्वारा प्राकृतिक अंतरण को तथा हीरालाल की पुत्रियां होने के तथ्य को न्यायालयीन दस्तावेजों के माध्यम से तथा शासकीय दस्तावेजों के माध्यम से सिद्ध किया गया था, जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय को सीधे नामांतरण आदेश पारित करने थे, जो उनके द्वारा नहीं किये गये और प्रकरण प्रत्यावर्तित कर दिया गया है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि संशोधित मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 के प्रावधानों के आलोक में भी अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण का अंतिमत: निराकरण करते हुये प्रश्नाधीन भूमि के राजस्व अभिलेखों में 2/3 हिस्से पर नामांतरण स्वीकृत कर देना चाहिये था ।

4/ अनावेदकगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदिकागण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश निरस्त करने में तो कोई भूल नहीं की गई है, किन्तु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर नये सिरे से प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही करने के निर्देश देने में त्रुटि की गई है, जबकि अपर आयुक्त को समस्त हितबद्ध व्यक्तियों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधिवत निराकरण हेतु प्रकरण तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित करना चाहिए था । अत: अपर आयुक्त के आदेश में "आवेदक अथवा अनावेदकगण की ओर से तहसीलदार के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर नये सिरे से प्रकरण करने करने" सम्बन्धी अंश निरस्त करते हुए शेष आदेश यथावत रखा जाता है । चूंकि तहसील न्यायालय के समक्ष सभी पक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर दिया जाना आवश्यक है, इसलिए अपर आयुक्त को सीधे नामान्तरण का आदेश देने का कोई औचित्य नहीं था, इसलिए आवेदिकागण द्वारा इस सम्बन्ध में प्रस्तुत तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं हैं । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण हेतु तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर